महात्मा गाँधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहारके सेनानियों की भूमिका : एक अध्ययन

डा0 किरण कुमारी*

प्रस्तुत शोध पत्र में महात्मा गाँधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण परिणाम तथा विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के भूमिका के साथ–साथ बिहार के विभिन्न जिलों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया गया है ।

26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया । 2 मार्च 1930 को महात्मा गाँधी के नेतष्त्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात नमक कानून का उल्लंघन कर किया । उन्होंने समुद्र तट पर स्थित दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया और वायसराय को उचित चेतावनी देकर वे सेवाग्राम से अपने 78 सेनानियों के साथ 375 किलोमीटर दूर स्थित दांडी पैदल चल पड़े । 1930 ई0 के 12 मार्च को गाँधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया और वे 6 अप्रैल को दांडी पहुँच गये । यह घटना दांडी यात्रा के नाम से विख्यात हुई । मार्ग में जनता ने सत्याग्रहीयों का शानदार स्वागत किया । 'बम्बे क्रोनिकल' में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है – 'इस महान राष्ट्रीय घटना के पहले' इसके साथ–साथ और बाद में जो दष्श्य देखने में आए वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूँकने वाले थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण – ब्रिटीश सरकार ने नेहरू के रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया । उसके बाद भारतीयों के लिए संघर्ष या आंदोलन करने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं रहा, विश्व में फैली आर्थिक मंदी, औद्योगिक तथा व्यवसायिक लोग सरकार के नीति से असंतुष्ट थे । सारे देश में असंतोष की लहर फैली थी । नमक पर कर लगाया जाना एवं विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाया जाना, किसानों से अधिक कर लेना भी सत्याग्रह का एक कारण था ।[1]

जिस समय गाँधी जी आगे बढ़ रहे थे उस समय काँग्रेस के नेता और कार्यकर्त्ता विभिन्न स्तरों पर संगठन–संबंधी कठिन कामों में व्यस्त थे । स्वयंसेवकों और सदस्यों की भर्ती कर रहे थे, निचले स्तर पर काँग्रेस समितियों का गठन कर रहे थे, कोष एकत्र कर रहे थे और गाँवों तथा कस्बों में घुमघुम कर राष्ट्रीय संदेश पहुँचा रहे थे । नमक सत्याग्रह की शुरूआत के लिए तैयारियाँ भी की गई, स्थानों का चयन किया गया, स्वयंसेवकों को तैयार किया गया तथा संघर्ष के लिए

*व्याख्याता, इतिहास विभाग एस0एस0टी0 कॉलेज, सासाराम रोहतास (बिहार)

साधनों का हिसाब लिया गया । एक बार जब गाँधी जी ने दांडी में नमक हाथ में लेकर इसके शुरू होने की रस्म पूरी की तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह समूचे देश में शुरू हो गया । तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की और 30 अप्रैल को जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके शिविर में इतने अधिक लोग एकत्र हो चुके थे कि उनकी मदद से यह सत्याग्रह काफी समय तक चलता रहा । मालवार वैकम् सत्याग्रह के नायक ने नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पयान्नूर तक की यात्रा की । सत्याग्रहीयों का एक दल असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट तक नमक बनाने के लिए पहुँचा था । आंध्रप्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से 'शिविरम' (सैनिक शिविरों की तर्ज पर) स्थापित किये गये थे तथा सत्याग्रहियों के जत्थे गाँवों से होते समुद्र तट की तरफ नमक कानून को चुनौती देने के लिए बढ़ते चले गये थे । लौटते समय वे दूसरे–दूसरे गाँवों से होते हुए आये थे । नमक कानून भंग करने पर सरकार गाँधी जी को गिरफ्तार करने में सफल रही । स्थानीय स्तर के नेताओं ने इसको अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और लोगों को यह समझाकर प्रभावित किया कि ''हमलोगों से सरकार भयभीत हो गई है ।'' और यह कि 'जब से नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है, सरकार गायब हो गई है । यह कहीं जाकर छिप गई है और गाँधी जी की सरकार कायम हो गई है ।' 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में जवाहर लाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया । इसके जवाब में मद्रास, कलकत्ता और कराची नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए ।[2]

इस महान अवसर पर भारतीयों के हष्दय में देश प्रेम की जितनी प्रबल धारा बह रही थी उतनी पहले कभी नहीं पड़ी थी । यह एक महान आंदोलन का महान प्रारंभ था और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है ।

इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें हजारों की संख्या में स्त्रियों ने भी भाग लिया । सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल पड़ा । आंदोलन के दमन के लिए सरकार ने कठोर नीति अपनाई । हर जगह गिरफ्तारी लाठी चार्ज, गोली चलाना, घुड़सवारों द्वारा लोगों को घोड़े के टापों के नीचे कुचलना आदि सरकारी कार्यक्रम बन गये थे । सरकारी आँकड़ों के अनुसार 29 बार गोलियाँ चलाई गई, जिससे 110 व्यक्ति मारे गये और 420 घायल हुए । एक साल से कम समय में नब्बे हजार व्यक्ति जेल गये । पुलिस की ज्यादतियाँ इतनी बढ़ गई थी कि विद्यार्थीयों को विद्यालय में घेरकर और कक्षाओं में घुसकर मारा जाता था । समान्यतः आंदोलन अनुशासित था लेकिन सरकार का सत्याग्रहियों के साथ व्यवहार अत्यंत पाश्विक तथा अमानविक था। नमक कानून भंग करने के अतिरिक्त विदेशी वस्त्रों और मादक द्रब्यों का बहिष्कार किया गया था और शराब की दुकानों पर पथराव किया गया था । देश में 13 अध्यादेश जारी किये गये, जनता को

तरह–तरह से उत्पीड़ित किया गया । लेकिन इस कठोर दमनकारी नीति के बावजूद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शिथिल नहीं पड़ा ।[3]

इधर बिहार में भी नमक सत्याग्रह उग्र रूप धारण कर चुका था। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी परन्तु इसके पहले से हीं बिहार में भारी उत्साह थी। फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में एक भाषण में राजेन्द्र बाबू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई । जवाहर लाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रांत का दौरा किया । इससे जनता को अत्यधिक प्रेरणा मिली । अप्रैल के पहले सप्ताह तक यहाँ पाँच सौ से अधिक काँग्रेस स्वयंसेवक बनाये जा चुके थे और उनकी संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही थी । 6 अप्रैल को सर्चलाईट में इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई– 'एक नई आशा की लहर एक नई प्रेरणा एक नये आदर्श की तलाश एवं नये बलिदान के रोमांचकारी अनुभव से वातावरण आपूरित है।'

नमक सत्याग्रह बिहार में सर्वप्रथम चम्पारण और सारण में शुरू किया गया। चम्पारण जिला में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था श्री विपिन बिहारी वर्मा अध्यक्ष चम्पारण जिला कॉंग्रेस कमिटी और चेयरमैन जिला अभिषद् की अध्यक्षता में चला। नगर में उस दिन भारी उत्साह था। राजेन्द्र बाबू ने इस स्वयंसेवकों के पहले जत्था को हार्दिक बिदाई दी। रास्ते में जत्था, भखिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सेनवरिया और जोकरिया में ठहरते हुए 11 अप्रैल को बेतिया पहुँचे। रास्ते भर गाँव के लोग जत्था का स्वागत करते और अनेक लोग उसके साथ हो जाते। जत्था जब बेतिया पहुँचा तो उस समय चौंतीस सौ स्वयंसेवक बन चुके। बेतिया की एक सभा में बिपिन बिहारी वर्मा ने भाषण किया। उन्हें 563 रूपये की थैली दी गई। 19 अप्रैल को चम्पारण जिला के कई स्थानों में नमक कानून भंग किया गया। उनके नाम क्रमशः ये है–योगापट्टी, मोतिहारी, ढ़ाका, सुगौली, गोविन्दगंज, रक्सौल और बेतिया । पुलिस ने विभिन्न थानों के नेताओं को एक हीं दिन गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख गिरफ्तार लोगों में ये थे– श्री विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पाण्डेय, गणेश प्रसाद साहू, राम दयालु प्रसाद साहू, रामदास प्रसाद आदि इन सबों को विभिन्न अवधियों की कैद एवं अन्य सजाएँ मिली। बिपिन बाबु को एक सादी कैद की सजा और शेष लोगों को छः महीने की सादी कैद की सजा सुनाई गई। नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों का उत्साह और भी बढ़ा। सत्याग्रह के पहले दिन 80 रूपये 14 आना का नमक बिका। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मोतिहारी और बेतिया में हड़ताल रही। 17 अप्रैल को श्री हरवंश सहाय और श्री जगनारायण प्रसाद को गिरफ्तार करके एक वर्ष सादी कैद की सजा दी गई। शीघ्र हीं श्री सीताशरण और विश्वनाथ सिंह तथा 14 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिए गये । सत्याग्रह फिर भी चलता ही रहा । उस इलाके के कुछ अन्य गाँवों में सामूहिक तौर पर नमक बनाया जाने लगा। 19 अप्रैल को लगभग दो हजार स्वयंसेवकों ने पाँच सौ पचास स्थानों पर नमक बनाया।

सारण जिला में सत्याग्रह– सारन जिला के 3 स्थानों– बरेजा, गोरिया कोठी

और हाजीपुर, नमक कानून भंग करने के लिए चुने गये। इन स्थानों पर 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तीन जत्थे श्री गिरीश तिवारी, सचिव, जिला काँग्रेस कमिटी ओर वाइस चेयरमैन, सारन जिला अभिषद् श्री चंद्रिका सिंह, सारन जिला अभिषद् के सदस्य और श्री भरत मिश्रा सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष के नेतष्त्व में तीन जत्थे चले। ज्यों हीं सत्याग्रह शुरू हुआ, नमक बनाने के समान सरकार द्वारा जब्त कर लिए गये और श्री नारायण प्रसाद से जिला काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री सिंह को एक वर्ष कैद की सजा दी गई। बरेजा सत्याग्रही जत्था के नायक, श्री बबन सिंह को छः महिने सादी कैद की सजा मिली। बाद में गिरीश तिवारी, भरत मिश्र प्रभृति नेता भी गिरफ्तार कर लिए गये और प्रत्येक की छः–छः महीने कैद की सजा सुनाई गई। किन्तु इससे सत्याग्रह रूका नहीं। पुलिस ज्यों हीं कड़ाई और बर्तन ले जाती त्यों हीं नये समानों की तैयारी कर ली जाती। इस प्रकार नमक बनाने का काम गोरिया कोठी, बरेजा, हाजीपुर, बरहरा, भैरवा, रामपुर आदि स्थानों पर चलता रहा । बड़ी संख्या में लोग काँग्रेस के स्वयंसेवक बने। 23 अप्रैल तक सारन जिला के लगभग 12 मुख्य नमक बनाने के केन्द्र खुल चुके थे। प्रत्येक गाँवों में भी नमक बनाने का काम होता था। संपूर्ण जिला 'नये उत्साह से स्पन्दित हो रहा था। पुलिस का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। 6 अप्रैल को 11 चौकीदार और एक दफादार ने बरेजा के समीप त्याग पत्र दे दिया।

मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल से सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके स्थानीय नेता तथा जिला काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह थे। यह निर्णय किया गया कि स्वयंसेवकों का पहला जत्था मुजफ्फरपुर से पैदल जायेगा और वहाँ पहुँचकर नमक बनायेगा। इसके लिए श्री नवाब सिंह ने प्रबंध किया। पहले जत्था में बाबु रामदयाल सिंह और जनकधारी प्रसाद के अतिरिक्त ललीत कुमार सिंह, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, यमुना त्रिपाठी आदि लोग थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के सड़कों से एक बड़ी जुलुस में गुजरते हुए 6 अप्रैल के तीसरे पहर तिलक मैदान में एक सभा की। इसकी अध्यक्षता श्री राम दयालु सिंह ने की। इस सभा में आचार्य कृपालानी भी उपस्थित थे। श्री कृपालानी एक उत्साहवर्धक भाषण किया और स्वयंसेवकों को टीका लगाया। शिवहर पहुँचने पर रामबाग में श्रीराम दयालु सिंह ने एक बड़ी सभा में भाषण किया। यहाँ पुलिस पहले से ही तैनात थी। उसने नेताओं और कुछ स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया तथा एकत्र भीड़ को हटाने का प्रयास किया । गिरफ्तार व्यक्तियों में श्री राम दयालु सिंह को डेढ़ वर्ष और ठाकुर रामनंदन सिंह को दो वर्षों की कड़ी कैद की सजा दी गई । 4 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये । उन्होंने भी विभिन्न अवधियों की सजा दी गई । इस अवसर पर श्री मथुरा प्रसाद सिंह को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके एक वर्ष कड़ी कैद की सजा दी गई । इनके बावजूद भी लोगों का उत्साह बढ़ता रहा। 23 अप्रैल तक जिला भर में 30 मुख्य नमक बनाने के केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे । इनके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र के पड़ोस में अनेक बस्तियों में भी नमक

बनाया जा रहा था। उस समय जिला कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। सत्याग्रह उनके निर्देशन में चल रहा था।

पटना जिला के कई अन्य स्थान पर भी नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। 13 अप्रैल को 11 स्वयंसेवकों का एक जत्था श्री जगतनारायण लाल के नेतृत्व में बिहटा के समीप अमहारा गाँव में पहुँचा और वहाँ उनलागों ने पुलिस की उपस्थिति में नमक बनाया । शीघ्र हीं श्री जगतनारायण लाल और दानापुर कॉंग्रेस कमिटी के सचिव कीर्तिनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया । दोनों को छः–छः महीने की कैद की सजा सुनाई गई । नमक बनाने का काम बड़े उत्साह के साथ चलता रहा । इस क्षेत्र में स्वामी सहजानंद ने इसके बाद नेतृत्व ग्रहण किया । उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, छः महीने कैद की सजा दी गई । अमहारा, बिक्रम, नौबतपुर, खगौल और दानापुर में नमक बनाने का काम चलता रहा । बाढ़ अनुमंडल में भी नये केन्द्र खोले गये ।

दरभंगा जिले में श्री सत्यनारायण सिंह के नेतष्त्व में स्वयंसेवकों का पहला जत्था दरभंगा नहर से 17 अप्रैल को नमक कानून भंग करने के लिए पिपरा के लिए रवाना हुआ । किन्तु एक बड़ी सभा में हार्दिक बिदाई के बाद ज्योंहि वे दरभंगा से बाहर निकल रहे थे, श्री सत्यनारायण सिंह एवं श्री रामनंदन मिश्रा, को गिरफ्तार कर लिया गया । दोनों को डेढ़ वर्ष की कड़ी सजा दी गई इससे जिला भर में उत्साह की लहर फैल गई । पिपरा में रोज नमक बनाया जाने लगा और पहले दिन के विक्रय से 300 रूपये आये ।

मुँगेर जिले में बाबु श्री कष्ष्ण सिंह के नेतष्त्व में कॉंग्रेस कारवाईयाँ बढ़ रही थी । श्री सिंह उन दिनों प्रांतीय कॉंग्रेस कमिटी के सचिव थे । 17 अप्रैल को स्वयंसेवकों का दो जत्था एक बेगुसराय अनुमंडल में गरहरा गाँव के लिए और दूसरा सदर अनुमंडल में चौकी गाँव के लिए रवाना हुआ । 17 अप्रैल को बाबु श्री कष्ष्ण सिंह, मुँगेर से गोगरी के 11 सत्याग्रहियों का जत्था लेकर रवाना हुए। बेगुसराय में वे एक रात ठहरे । मंझौल में 11 और स्वयंसेवक उनके साथ हो गये। 20 अप्रैल को कानून भंग करने की तैयारियाँ शुरू हुई और पुलिस के प्रतिरोध के बावजूद दो–तीन दिन तक चलती रही । पुलिस नमक बनाने का बर्तन और सभी साज–समान उठाकर ले गई और स्वयंसेवकों पर लाठी भी चलाई । एक पुलिस अधिकारी ने श्री बाबु के साथ भी दुर्व्यवहार किया । गोगरी के एक सत्याग्रही श्री मुरलीधर झा के शरीर का कुछ भाग नमक की कड़ाही की रक्षा करते हुए झुलस गये। पुलिस ने उस दिन और अगले कुछ दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं की । 23 अप्रैल को श्री बाबु बेगुसराय ही थे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर ली गई तथा 6 महीने की सजा दी गई । उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया किन्तु गढ़पुरा उत्तर मुँगेर में लगभग तीन सप्ताह तक नमक बनाने का महत्वपूर्ण केन्द्र बना रहा । गोगरी थाना के नेता श्री सुरेश चन्द्र मिश्र उनकी देखरेख करने के लिए भेजे गये। उनकी माँ भी उनके साथ आई । पुलिस हस्तक्षेप करती और एकाधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करती ।[4]

जब सरकार सख्ती से आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो उसने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया। तेज बहादुर स्प्रु और डॉ0 जयकर आदि ने समझौते का प्रयत्न किया। अतः जनवरी 1931 ई0 में गाँधी जी और कुछ मान्य नेताओं को कारावास से मुक्त कर दिया गया । इस वर्ष 5 मार्च को गाँधी इनवीन समझौता हुआ। जिसके अंतर्गत आंदोलन संपन्न कर दिया गया। इन समझौतों में कुछ शर्तें थी, जिनके अनुसार सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह सभी अध्यादेशों और मुकदमों को वापस लेगी तथा अहिंसात्मक आंदोलन करने वाली सभी कैदियों को रिहा कर देगी। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिना कर दिये नमक बनाने की अनुमति दी गई।

अब सरकार ने कॉंग्रेस से किसी सहमति पर पहुँचने के लिए बातचीत शुरू की ताकि कॉंग्रेस इस सम्मेलन में भाग ले । अंत में लार्ड–इरवीन गाँधी जी के बीच मार्च 1931 में समझौता हुआ । सरकार अहिंसक रहने वाले बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई । उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर घराना देने का अधिकार भी मान लिये गये ।[5]

अंत में कहना उचित होगा कि इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और जोश पैदा कर दिया जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों ने सरकार के विरूद्ध आजादी के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी । इस आंदोलन सर्वाधिक महत्व इसलिए भी रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जनता में आत्म विश्वास पैदा किया और लोगों को स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार किया। इस प्रकार इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को अत्यंत बलवती बना दिया, जिसमें तमिलनाडु से लेकर पेशावर तक तथा महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और बिहार को भी अपनी लहर में लिया जिसमें ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीति के विरूद्ध अपनी माँगे रखी । संपूर्ण मद्य निषेध विनियम की दर घटना, जमीन का लगान आधा करना, नमक कर को समाप्त करना, बड़ी–बड़ी सरकारी नौकरियों को वेतन का आधार दिया जाय, सभी राजनीतिक बंदी को छोड़ दिया जाय । भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, आदि माँगों को सरकार के समक्ष रखकर आजादी के करीब पहुँचे, जिसमें महात्मा गाँधी की अहम भूमिका रही, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपना योगदान देकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा किये ।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. आधुनिक भारत का इतिहास एवं संस्कषति– अनिल केसरी, पृष्ठ संख्या 126, 127, 128
2. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष–प्रो0 विपिनचन्द्र एवं मष्दुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी क0न0 पनिकर, सुचेता महाजन, पष्ठ सं0–255,256
3. बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास–डा0 कालिकिंकर दत्त, पृष्ठ संख्या–68, 69, 70, 71, 79, 80
4. आधुनिक भारत का इतिहास–विपिनचन्द्र, पष्ठ संख्या–305
5. उपकार प्रकाशन–UGC/NET- सुरेश कुमार पाण्डेय, पृष्ठ सं0–293

****